



2026:AHC:16016

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2260 वर्ष 2026

अंसू

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कृष्ण प्रताप सिंह, श्री शम्स उज जमान

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची संशोधित की गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. श्री शम्स उज ज़मान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री डी.के. सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 296 वर्ष 2025, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 109(1), 103(1), 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-रमाला, जनपद-बागपत में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. अभियोजन कथा के अनुसार, आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तगण का सूचनाकर्ता के पुत्र के साथ विवाद हुआ। उक्त घटना से क्षुब्ध होकर आवेदक एवं अन्य सह-अभियुक्तगण मृतक के घर आए और लाठी, डंडा एवं धारदार हथियारों से मारपीट की। प्राथमिकी में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि राजीव ने मृतक के पेट में चाकू से वार किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है।
6. आगे यह तर्क दिया गया कि राजीव को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य एवं सामूहिक आरोप लगाए गए हैं तथा आवेदक का मामला अन्य सह-अभियुक्तों से भिन्न है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 19.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
8. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्क तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राजीव को छोड़कर अन्य सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सामान्य एवं सामूहिक आरोप हैं तथा वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रथम दृष्टया न्यायालय की राय है कि आवेदक जमानत का अधिकारी है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकृत** किया जाता है।
9. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **अंशू**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निरुद्ध है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

- (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को दबाव/धमकी नहीं देगा।
- (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ विचारण न्यायाधीश को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगी।

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

शालिनी

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।